

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक

/2014 जिला-विदिशा
R. 2258 - J 114

1. रमेशचन्द्र पुत्र श्री सुखलाल चौरसिया
2. शंकरलाल पुत्र श्री सुखलाल चौरसिया निवासीगण
ग्राम गमाकर तहसील गंज वासौदा जिला विदिशा
(म.प्र.) आवेदकगण

विरुद्ध

1. संतोष पुत्र श्री कुंजीलाल दत्तक पुत्र सेवाराम
चौरसिया
2. कलाबाई पत्नी श्री हिम्मत सिंह रघुवंशी
3. कुंजीलाल पुत्र श्री पूरन चन्द्र चौरसिया
निवासीगण ग्राम गमाकर तहसील गंज वासौदा
जिला विदिशा (म.प्र.)
4. प्रेमबाई पुत्री श्री सेवाराम पत्नी नारायण प्रसाद
चौरसिया निवासी हालमुकाम पोलाय खुर्द तहसील
व जिला शाजापुर (म.प्र.)
5. विश्वनाथ पुत्र श्री सदेरसिंह गाडरी (पाल) निवासी
ग्राम गमाकर तहसील गंज वासौदा जिला विदिशा
(म.प्र.) .. अनावेदकगण

रमेशचन्द्र की हित
ज दि. 25.7.14 को

कलेक्ट ऑफ म.प्र. ग्वालियर
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर


न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

12 ✓

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2258-एक/14

जिला विदिशा

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|------------------|--|--|
| 12-08-2014 | <p>आवेदक अधिवक्ता श्री के०के०द्विवेदी उपस्थित । उन्हें ग्राह्यता पर सुना ।</p> <p>2- आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया तथा तहसील न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 38/अ-27/13-14 में पारित आदेश पत्रिका दिनांक 29-5-14 एवं 26-5-14 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । दिनांक 26-5-14 के आदेश के द्वारा तहसीलदार द्वारा उनके समक्ष लंबित कार्यवाही को आवेदक के सिविल न्यायालय में जाने से स्थगित रखा है तथा आदेश पत्रिका दिनांक 29-5-14 को अन्य आदेश पारित कर अपने आदेश को निरस्त किया । तहसीलदार ने दिनांक 29-5-14 को आदेश पारित कर अपने पूर्व में पारित आदेश दिनांक 26-5-14 को निरस्त करने के पर्याप्त कारण नहीं बताये हैं । अतः प्रकरण का तहसीलदार को इन निर्देशों के साथ इसी स्टेज पर अंतिम निराकरण किया जाता है कि वे अपने आदेश दिनांक 26-5-14 को परिवर्तित करने से पूर्व उभयपक्ष को सुनें तथा सकारण आदेश पारित करें ।</p> | <p style="text-align: right;">  प्रशासकीय सदस्य </p> |